संख्या-28/2023/001-ई-2589661 60 3 2023 सी-1060367

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 22 दिसम्बर, 2023

विषय-वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रावधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बगन्ध-में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1573-74/निदे0म0क0/अनुदान/रा0म0आ0/आवंटन/2023-24, दिनांक 27.10.2023 के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान सं0-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-20-उ0प्र0 राज्य महिला आयोग को अनुदान के अन्तर्गत 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि रू0-160.00 लाख (रूपये एक करोड़ साठ लाख मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किश्त धनराशि रू0-40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्रावधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुये आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021032000 उ.प्र. राज्य महिला आयोग को अनुदान मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0संख्या E-4-137-X-2023-24, दिनांक-20 नवंबर, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- भविष्य में उ0प्र0 राज्य महिला आयोग में तैनात कर्मचारियों का व्यय भार मुख्य-अधिष्ठान (Main Establishment) का ही हिस्सा होगा। इस हेतु महिला कल्याण निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को तद्नुसार संशोधित कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

संख्या-28 (1)/2023/001-ई-2589661 60 3 2023 सी-1060367, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग, गोमतीनगर, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।